राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – राजपाल यादव, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 70/2020

कमला राम दत्तक पुत्र चेता जाति गुर्जर निवासी ताल तन रसूलपुर तहसील खेतड़ी, जिला झुझुनूं (राज)

.... प्रार्थी

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज)

..........अप्रार्थी

प्रार्थन पत्र – नाम दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 22–02–2021

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमावन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 318 के हाल ख.नं. 1338 रकबा 0.36 हैक्टर, ख.नं. 1390 रकबा 0.55 हैक्टर, ख.नं. 1441 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 हैक्टर में प्रार्थी का नाम कमलाराम दत्तक पुत्र बिरजूराम के स्थान पर सही नाम कमलाराम दत्तक पुत्र चेता दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार खेतड़ी से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के सम्वन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार खेतड़ी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता सं. 318 ग्राम ताल पेश की गई तथा गवाह रोहिताश्व पुत्र बनवारीलाल उम्र 35 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ताल तन रसूलपुर व श्रवणराम पुत्र भाताराम उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ताल तन रसूलपुर के शपथ पत्र पेश किये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं प्रार्थना पत्र के अभिवचनों तथा जांच रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। राजस्व ग्राम ताल तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमावन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 318 में प्रार्थी का नाम कमलाराम दत्तक पुत्र विरजूराम के स्थान पर कमलाराम दत्तक पुत्र चेता दुरूस्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम ताल तहसील खेतडी स्थित भूमि जमावन्दी सम्वत् 2075 लगायत 2078 के खाता संख्या 318 में प्रार्थी का नाम कमलाराम दत्तक पुत्र बिरजूराम के स्थान पर कमलाराम दत्तक पुत्र चेता दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार खेतडी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22–02–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner